

अंतर कार्यालयीन ज्ञापन	
संदर्भ सं.राबैं.ओडि क्षेका/ एचआरएमडी/ <u>A241</u> / एस-39(EOL)/ 2024-25	01 मई 2024
प्रेषक : मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, ओडिशा क्षे.का., भुवनेश्वर	प्रेषिती : मुख्य महाप्रबंधक HRMD-LEAVE & INCREMENT नाबार्ड, प्र.का., मुम्बई

ईओएल कि स्वीकृति हेतु अनुशंसा

Recommendation for Sanction of EOL

श्री बिश्वनाथ मुखी, ओ ए (यूआईएन-8104), ने 01.03.2024 से 06.03.2024 तक स्व-बीमारी के लिए (चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न), अनुपस्थित था। वह 06 दिनों के लिए अनुपस्थित थे और और अल्प अवकाश शेष के कारण छुट्टी के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहे हैं।

Shri Biswanath Mukhi, OA (UIN-8104) was absent from 01.03.2024 to 06.03.2024 for self-sickness (Medical Certificate enclosed). He had inadequate leave balance on the date of leave to cover the absence of 06 days.


हम बिश्वनाथ मुखी, ओ ए (यूआईएन-8104) की 06 दिनों की (01.03.2024 से 06.03.2024 तक की) छुट्टी को ईओएल के अनुदान द्वारा नियमित करने के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव करते हैं :-

We propose to regularise the leave for 06 days (01.03.2024 to 06.03.2024) in respect of Shri Biswanath Mukhi, OA (UIN-8104) by grant of EOL as indicated below :-

Sr. No.	UIN	Name & Designation	Period of absence to be regularized by grant of EOL	Recommendation
1	8104	Shri Biswanath Mukhi, OA	01.03.2024 to 06.03.2024	EOL-CI-CQS

2. प्रधान कार्यालय से अनुरोध है कि श्री बिश्वनाथ मुखी, ओ ए (यूआईएन-8104) के अवकाश को स्वीकृत कर वेतन से कटौती की जाए।

2. Head Office may kindly sanction the leave and effect deduction from salary of Shri Biswanath Mukhi, OA (UIN-8104).



(देवेश बेहेरा)

सहायक महाप्रबंधक

अनुलग्नक - डॉक्टरी प्रमाणपत्र